प्र. स. .... /धारा/प्र.पत्र/ ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। रिपोर्ट T.R. तालेडा प्राप्त हुई। जो शा० मि० की गई। ~~[illegible]~~ बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ आदेश दिनांक 19/10/23 को पेश हो।
19.10.23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 30/10/23 को पेश हो।
30/10/23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सा. कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/11/23 को पेश हो
16/11/23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सा. कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/11/23 को पेश हो
28/11/23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सा. कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/12/23 को पेश हो
5/12/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 7/12/2023 को पेश हो।
7/12/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। प्रा.पत्र मे उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट T.R. अनुसार प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार की जाता है। विस्तृत निर्णय

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
पृथक से लिखाया जाकर शा॰मि॰ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
87/प्रा0पत्र/2023	3.7.2023	07.12.2023

संतोष आयु वयस्क पुत्री श्री केसरा जाति लोधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बून्दी

......प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थिया:— श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थी:— पेरोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं0 नया 148 पुराना 144 ख0सं0 404/182 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा में विस्थित है। जिस पर प्रार्थिया खातेदार के रूप में काबिज कास्त है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थिया का नाम शान्ति अंकित हो रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में सहवन एवं गलती से पिता के फोती नामान्तकरण के दौरान प्रार्थिया का मूल नाम/दस्तावेजी नाम के स्थान पर प्रार्थिया का बोलता नाम शांति अंकित हो गया था। जबकि प्रार्थिया का सही नाम संतोष है। प्रार्थिया उपरोक्त वर्णित आराजी पर अपने हिस्से में शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है। प्रार्थिया की पहचान के बाबत दस्तावेजात जनआधार कार्ड परिवार सं0
5035126574 में प्रार्थिया का नाम संतोष अंकित हो रहा है। जो सही एवं सत्य है। प्रार्थिया को घर
का नाम शांति के नाम से भी जाना पहचाना व पुकारा जाता है। राजस्व रेकार्ड में घर वालो/राजस्व
कर्मचारियो/अधिकारियो से सहवन व गलती से फोती नामान्तकरण के समय प्रार्थिया का नाम घर में
बोले जाने वाला नाम शान्ति अंकित करवा दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला
आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थिया के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक एवं
जरूरी है। इस बाबत प्रार्थिया द्वारा कई बार पटवारी हल्का एवं तहसीलदार तालेडा को निवेदन किया
गया। किन्तु उनके द्वारा प्रार्थिया का नाम दुरूस्त करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया है यही
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रार्थिया
का नाम शांति को विलोपित कर उसके स्थान पर प्रार्थिया की पहचान जनआधार कार्ड सं0
5035126574 के आधार पर संतोष दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।
अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व
रेकार्ड खाता सं0 नया 148 पुराना 144 ख0सं0 404/182 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम
गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप में खातेदार शान्ति पुत्री केसरा जाति लोधा वाके ग्राम
गोविन्दपुर बावडी अंकित है। मौका अनुसार ग्राम गोविन्दपुरबावडी में जांच की गई एवं प्रार्थिया के
दस्तावेज की जांच की गई। मुताबिक दस्तावेज प्रार्थिया का नाम संतोष दर्ज है। मुताबिक
ग्रामवासियान् इस नाम और वल्दियत की अन्य कोई महिला इस ग्राम में निवास नही करती है। ये
दोनो नाम एक ही महिला के है। तहसीलदार तालेडा ने नाम संशोधन की अनुशंषा की है। पेरोकार
सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार शांति को संतोष करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

प्रार्थिया द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि
राजस्व रेकार्ड में घर वालो एवं राजस्व कार्मिको के द्वारा सहवन व गलती से फोती नामान्तकरण के
समय प्रार्थिया का नाम घर में बोले जाने वाले नाम शांति ही अंकित कर दिया था जो कि आज तक
राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थिया के हित में एवं न्याय
के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की

हमने बहस वकील प्रार्थिया सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 नया 148 पुराना 144 ख0सं0 182 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप के अवलोकन से है कि उक्त जमाबन्दी में शांती पुत्री केसरा ही अंकित है। किन्तु प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड सं0 5035126574 का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का लोकन करने से यह स्पष्ट है कि शांती एवं संतोष एक ही महिला है एवं दौराने रेकार्ड में अमल मद प्रार्थिया के परिवारजन द्वारा प्रार्थिया का नाम बोलते नाम पर शांती अंकित करवा दिया कि प्रार्थिया का सही नाम संतोष था। मौका रिपोर्ट अनुसार भी शांती एवं संतोष नाम का ग्राम विन्दपुरबावडी में एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है जिसकी वल्दियत एक हो। पत्रावली पर पलब्ध रेकार्ड,एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में खाता सं0 नया 148 पुराना 144 ख0सं0 404/182 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप मे प्रार्थिया के नाम शांती पुत्री केसरा के स्थान पर शांति उर्फ संतोष पुत्री केसरा संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा